न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,झालावाड
पीठासीन अधिकारीः अजय सिंह राठौड़, आई0ए0एस0

मि0नं0 35/अपील/21 तारीख दायरा:28.10.2021

उनवान अपील

दुर्गाशंकर आत्मज देवीलाल जाति भील निवासी गांवड़ी का तालाब रेलवे स्टेशन के पास झालावाड़ जिला झालावाड अपीलार्थी

बनाम

01. मांगीलाल
02. पूरीलाल
03. भेरीबाई पिसरान श्रीकिशन
04. देवीबाई पत्नी श्रीकिशन
05. मोहनलाल पुत्र घांसीलाल जाति भील निवासी गांवड़ी का तालाब रेल्वे स्टेशन के पास झालावाड़ जिला झालावाड़
06. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार झालरापाटन जिला झालावाड़
07. दुर्गालाल पुत्र बरदीबाई
08. दुर्गीबाई पुत्री बरदीबाई
09. रामदयाल मृत पुत्र बरदीबाई के विधिक वारिसान
    9/1. इन्द्राबाई पत्नी रामदयाल
    9/2 जीवन पुत्र रामदयाल उम्र 13 वर्ष
10. सुगनाबाई पुत्री बरदीबाई समस्त जाति भील निवासी खानपुरिया तहसील झालरापाटन झालावाड़

रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तकरण विकास शिविर झालरापाटन तहसील झालरापाटन नामा0 संख्या 62 दिनांक 13.08.2004 अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः श्री पूरीलाल राठोर, अभिभाषक अपीलान्ट्स

जिला कलक्टर
झालावाड़

–: निर्णय :– दिनांकः 13.02.2024

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गावडी पटवार हल्का गिन्दोर तहसील झालरापाटन में स्थित खसरा नं0 25 रकबा 0.13 बीघा, खसरा नं0 26 रकबा 0.15 बीघा, खसरा न0 28 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नं0 29 रकबा 0.17 बीघा,खसरा न0 30 रकबा 1.03 बीघा, खसरा न0 31 रकबा 1.16 बीघ कुल किता 6 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा के सम्बन्ध में विकास शिविर झालरापाटन नामान्तकरण संख्या 62 दिनांक 13.08.2004 दर्ज किया गया जिसके अनुसार भंवरलाल पुत्र भेरू जाति भील निवासी झालावाड़ के मृत्यु होने पर उसके विधिक उत्तराधिकारी पुत्र घासीलाल,श्रीकिशन व पुत्री बरदीबाई का नाम दर्ज किया गया है। जिससे आहत होकर न्यायालय में अपील पेश की है।

उल्लेख किया है कि खातेदार भंवरलाल की मृत्यु होने पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पर आधारित पुत्रियों का नाम नामान्तकरण दर्ज किया गया है किन्तु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(2) के अनुसार जनजाति के मामलों में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते है। इस संबंध में लागू पुराने हिन्दू कानून के अनुसार जनजाति से संबंधित होने से महिला को उत्तराधिकार नहीं मिलता है क्योंकि मृतक भंवरलाल जनजाति से संबधित था इस कारण महिला का नाम दर्ज नहीं होना था। उसके उपरान्त भी मृतक भंवरलाल की पुत्री बरदीबाई का नाम दर्ज किया गया जो गैरकानूनी है। जैसे ही बरदीबाई का नाम अपने हक हिस्से में आया तो उसने अपना हिस्सा रेस्पों0 संख्या 05 मोहनलाल के नाम रिलीज करा दिया जो भी प्रभावशून्य है। बरदीबाई फोत हो चुकी है। मृतक खातेदार भंवरलाल पुराने हिन्दू कानून के अनुसार उत्तराधिकारियों के वंशावली अनुसार मृतक भंवरलाल ,भंवरलाल के 02 पुत्र कमशः घासीलाल व श्रीकिशन थे जो फोत हो चुके है। घांसीलाल मृतक के 02 पुत्र कमशःदेवीलाल व मोहनलाल , देवीलाल (मृतक) के एक पुत्र दुर्गाशंकर है। मृतक भंवरलाल के दूसरे पुत्र श्रीकिशन (मृतक) के दो पुत्र मांगीलाल व पुरीलाल है। उक्त वंशावली अनुसार अपीलार्थी के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज होने योग्य है जबकि उसके नाम 1/6 हिस्सा दर्ज हुआ है। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि में से 1/6 हिस्सा बेचान कर दिया है। उससे अपीलार्थी के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज होने योग्य हिस्से में से कम करते हुए अपीलार्थी 1/4–1/6 = 1/12 हिस्से अपने नाम नामान्तकरण दर्ज कराने की पात्रता रखता है। अपीलार्थी द्वारा नामा0 संख्या 62 दिनांक 13.08.2004 निरस्त कर नामांतकरण नियमानुसार खोलने की इस्तदुआ की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों0 1 लगायत 6 को जरिये नोटिस तलब किया गया रेस्पों0 की तरफ वकील श्री शेलेन्द्र पोषवाल व राजेश कुमार सुथार द्वारा वकालतनाम प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पो0 संख्या 05 की ओर से वकील श्री राजेश कुमार सुथार ने अपील का जवाब पेश किया जो शामिल फाईल किया। शेष रेस्पो0 की तरफ से वकील श्री शेलेन्द्र पोषवाल ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल फाईल है। वकील श्री शेलेन्द्र पोषवाल द्वारा शेष रेस्पों0 की तरफ से जवाब अपील प्रस्तुत करना नहीं चाहते है। पत्रावली उभयपक्षकारान की बहस में रखी गई ।

जिला कलक्टर
झालावाड़

पत्रावली में वकील उभयपक्षकारान की बहस में वकील अपीलांट की एकतरफा बहस सुनी गई, दौराने बहस वकील रेस्पो0 अनुपस्थित रहे है। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अवगत कराया है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(2) के अनुसार अनुसूचित जनजाति की पुत्रियों का पिता की सम्पत्ति में हिस्सा निहीत नहीं होता है। इस संबंध में वकील अपीलांट ने राजस्व मण्डल अजमेर का निर्णय दिनांक 03.08.2015 आरआरटी 1437 नजीर भी प्रस्तुत की।

हमने बहस वकील अपीलांट एवं उनके द्वारा पेश नजीर का अध्ययन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकोर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार पूर्व में इसी न्यायालय में प्रकरण संख्या 28/अपील/18 जो कि इन्तकाल संख्या 71 दिनांक 29.01.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था जिसका न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 22.07.2019 को निस्तारण किया जा चुका है जो समान आराजी समान खसरा नं0 समान रकबा एवं समान पक्षकार विचाराधीन था और अब उसी के संबंध में अपीलार्थी न्यायालय हाजा के समक्ष जर्ये अपील पेश आया है। समान आराजी समान खसरा नं0 समान रकबा एवं समान पक्षकार होने से विचारणीय अपील रेस्ज्यूडिकेटा (RES JUDICATA) की जद में आती है। अपील अपीलार्थी प्रथम दृष्टतया न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है।

इसी क्रम में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) Hindu sucession Act, 1956 is hereby reproduced as under "Notwithstanding anything contained in sub-section(1), nothing contained in this act shall apply to the member of any Scheduled Tribe within the meaning of clause (25) of Article 366 of the constitution unless the central government by notification in official Gazette, otherwise direct." का अवलोकन किया गया। हमारी जानकारी में किसी भी पक्ष द्वारा ऐसी कोई अधिसूचना प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रतीत हो कि केन्द्र सरकार ने अन्यथा रूप से निर्देशित किया हो उपरोक्त विवेचन से तहसीलदार झालरापाटन द्वारा नामा0 संख्या 62 दिनांक 13.08.2004 न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलार्थी रेस्ज्यूडिकेटा अधिनियम के तहत चलने योग्य नहीं होने एवं उपरोक्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के संदर्भ में किसी तरह के साक्ष्य एवं सबूतों के अभाव में खारिज की जाती है। पत्रावली फेसले में शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

13.02.2024

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड़